भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1873

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक)

पड़ोसी देशों से आने वाले प्रवासी मजदूर

1873. श्रीमती शारदा अनिल पटेल:
श्री मितेष पटेल (बकाभाई):
श्री जगन्नाथ सरकार:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बांग्लादेश, नेपाल आदि जैसे पड़ोसी देशों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को विनियमित करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) क्या सरकार के पास पड़ोसी देशों के ऐसे प्रवासी मजदूरों की सही संख्या की सूची है; और

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रदान किए गए रोजगार का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): भारत सरकार बांग्लादेश, नेपाल आदि जैसे पड़ोसी देशों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को विनियमित करने के लिए कोई विशिष्ट योजना कार्यान्वित नहीं कर रही है।

तथापि, दिनांक 01.01.2019 से 08.12.2022 तक की अवधि के दौरान पड़ोसी देशों से आने वाले विदेशियों को जारी किए गए रोजगार वीजा से संबंधित आंकड़े अनुबंध में दिए गए हैं।

* *****

<u>अनुबंध</u>

'पड़ोसी देशों से आने वाले प्रवासी मजदूर' के संबंध में श्रीमती शारदा अनिल पटेल, श्री मितेष पटेल (बकाभाई), श्री जगन्नाथ सरकार द्‌वारा दिनांक 19.12.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1873 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>दिनांक 01.01.2019 से 08.12.2022 तक की अवधि के दौरान पड़ोसी देशों से आने वाले विदेशियों को जारी किया गया रोजगार वीजा</u>

क्र.सं.	राष्ट्रीयता	2019 (पूर्ण वर्ष)	2020 (पूर्ण वर्ष)	2021 (पूर्ण वर्ष)	2022 (दिनांक 08.12.2022 तक)
1	अफ़ग़ानिस्तान	15	4	4	1
2	बांग्लादेश	431	141	155	373
3	चीन	9878	1151	1836	2118
4	म्यांमार	216	59	18	42
5	श्रीलंका	2528	750	577	1210

नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत में प्रवेश करने के लिए भारतीय वीजा की आवश्यकता नहीं होती है।

*****